# (13) खाद्य एवं रसद विभाग की कार्ययोजना –

सूखा प्रभावित जनता को बेहतर खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना तथा कृषि एंव सिचाई कार्य हेतु डीजल आदि की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना खाद्य एंव रसद विभाग की शीर्ष प्राथमिकता है। इसके लिए शासन द्वारा पूर्व से संचालित खाद्य योजनाओं यथा ए0पी0एल0, बी0पी0एल0, अन्त्योदय, मध्याहन भोजन योजना आदि के तहत मासिक ऑवटन का नियमित उठान तथा कार्ड धारकों में इनका वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्ड धारक, एतदनुसार ऑवटन, निर्धारित मूल्य तथा वितरण प्रणाली को निम्नवत दर्शित किया जा रहा है।

## जनपद में प्रचलित कार्ड धारकों की संख्या

| | | |
|---|---|---|
| अन्त्योदय | – | 22774 |
| बी0पी0एल0 | – | 37235 |
| ए0पी0एल0 | – | 134076 |
| | | 194085 |

- अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 परिवारों हेतु प्राप्त खाद्यान्न तथा चीनी का मासिक आवंटन–

| | | |
|---|---|---|
| अन्त्योदय योजना हेतु खाद्यान्न आवंटन(मी0टन) | – | 797.090 |
| बी0पी0एल0 योजना हेतु खाद्यान्न आवंटन(मी0टन) | – | 1303.225 |
| | | 2100.315 |

- अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 परिवारों हेतु चीनी का आवंटन(मी0टन में) 186.000
- अन्त्योदय,बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 कार्ड धारकों हेतु प्राप्त मि0तेल का मासिक आवंटन (कि0ली0में) 644

| योजना का नाम | | मासिक आवंटन (मी0टन0 / किली0में) | निर्धारित मूल्य प्रति किग्रा0 |
|---|---|---|---|
| अन्त्योदय | गेहूँ | 341.610 | 2.00 |
| | चावल | 455.480 | 3.00 |
| बी0पी0एल0 | गेहूँ | 558.525 | 4.65 |
| | चावल | 744.700 | 6.15 |
| चीनी (बी.पी.एल.अन्त्योदय) | | 186.00 | 13.50 |
| मिट्टी का तेल | | 644 | 10.50 से 10.80 तक |

**<u>वितरण स्केल</u>** –

(1) शासना0संख्या–3635/29–6–20–07–3–8/2001 (टी0सी0) दिनांक 15 अक्टूबर, 07 के द्वारा प्रदेश में चावल की कमी के दृष्टिगत बी0पी0एल0/अन्त्योदय लाभार्थियों को सम्पूर्ण उ0प्र0 में प्रति माह प्रति परिवार 15 कि0ग्प्र0 गेहूॅ तथा 20 कि0ग्रा0 चावल के स्थान पर 20 कि0ग्रा0गेहूॅ तथा 15 कि0ग्रा0 चावल की दर से माह नवम्बर,2007 एवं दिसम्बर 2007 में वितरण कराये जाने के आदेश थे जिसका अनुपालन कराया गया है। माह जनवरी, 2007 से 15 कि0ग्रा0 गेहूॅ तथा 20 कि0ग्रा0 चावल प्रति माह वितरित कराये जाने का मानक शासन स्तर से निर्धारित किया गया है।

(2) अन्त्योदय व बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को 700 ग्राम प्रति यूनिट की दर से चीनी प्रति माह उपलब्ध कराये जाने का मानक निर्धारित है।

(3) अन्त्योदय/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को 5 ली0 मि0तेल (बिना एल.पी.जी. गैस धारकों) तथा 03 ली0 (एल.पी.जी.गैस धारकों को) प्रति माह उपलब्ध कराये जाने का मानक निर्धारित है।

**<u>ए0पी0एल0 योजना</u>**– शासन/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक चित्रकूट धाम मण्डल बॉदा के स्तर से ब्रेकअप के अनुसार इस जनपद को 180 एम0टी0 गेहूॅ ए0पी0एल0 येाजना के अन्तर्गत आवंटित किया गया है जिसका वितरण आयुक्त,चित्रकूटधाम मण्डल बॉदा के निर्देशानुसार केवल सूखा ग्रस्त वॉछित परिवारों को ही ए0पी0एल0 दर पर किया जाना है। जिसका भारतीय खाद्य निगम बॉदा से उठान कर लिया गया है। प्रत्येक उचित दर विक्रेता को सूखा ग्रस्त वॉछित परिवारों को वितरण हेतु गोदामों से उठान कराकर आरक्षित कराये जाने की कार्यवाही चल रही है। उपरोक्त गेहूॅ में से 432 कु0 गेहूॅ जो दैवी आपदा/जिला प्रशासन द्वारा उचित दर विक्रेताओं के यहॉ एक–एक कुन्तल गेहूॅ आरक्षित कराया गया है उसको उपरोक्त आवंटन में समायोजित किया गया है।

## (ख) डीजल/मिट्टी तेल की व्यवस्था–

जनपद में कुल 04 थोक मि0तेल विक्रेता एवं 05 मि0तेल ब्लाक वितरक कार्यरत है। जनपद हेतु 644 कि0ली0 मि0तेल का मासिक आवंटन शासन स्तर से प्राप्त हो रहा है। उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा माह नवम्बर 2007 में 120 कि0ली0 एवं माह दिसम्बर.2007 में 72 कि0ली0 कुल 192 कि0ली0 मि0तेल का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ है। निर्धारित मानक 05 ली0 प्रति कार्ड धारक के अनुसार मि0तेल वितरण कराये जाने हेतु लगभग 310कि0ली0 मि0तेल के मासिक आवंटन की और आवश्यकता है।उक्त के अतिरिक्त जनपद में कुल 11 पेट्रोल/डीजल पम्प एवं 46 पेटी डीजल डीलर कार्यरत है जिनके यहॉ कुल लगभग 110120 ली0डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

## सूखा राहत के तहत विशेष व्यवस्था –

उपरोक्त वितरण प्रणाली के अतिरिक्त वर्तमान में सूखे के प्रभाव को देखते हुए शासन के निर्देश पर जनता को राहत प्रदान करने हेतु कतिपय अन्य योजनाएं भी लागू की गयी है –

## (क) ''ग्रामीण खाद्यान्न बैंक'' योजना –

वर्तमान में जनपद में कुल 28 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण खाद्यान्न बैंक स्थापित है।प्रत्येक ग्रामीण खाद्यान्न बैंक से 40–40 बी0पी0एल0/अन्त्योदय लाभार्थियों को सम्बद्ध किया गया है जिन्हे एक–एक कुन्तल निःशुल्क उनकी मॉग पर उधार गेहूॅ उपलब्ध कराया जाता है। सूखे के दृष्टिगत जनपद की शेष 302 ग्राम पंचायतों में भी ग्रामीण खाद्यान्न बैंक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

## (ख) ''सुरक्षित खाद्यान्न कोष'' –

सूखा प्रभावित जनपद में भुखमरी अथवा भूख से मृत्यु की किसी भी सम्भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर प्रत्येक गॉव में प्रत्येक कोटेदार के पास एक कुन्टॅल गेहॅू तथा एक कुन्टल चावल का सुरक्षित खाद्यान्न कोष स्थापित किया गया है। तहसीलदारों के स्तर से निराश्रित, असहाय एंव ऐसे बच्चे जिनके कोई अभिभावक नही है तथा अभी स्वंय कमाने की स्थिति में नही है, का चिन्हीकरण कर लिया गया है। जनपद में यह संख्या लगभग 900 है। इन्ही असहाय एंव निराश्रितों को उक्त सुरक्षित खाद्यान्न कोष से प्रतिमाह अथवा आवश्यकतानुसार 10किग्रा0 खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसके अनुश्रवण हेतु ग्राम स्तरीय समिति बनायी गयी है, जिसमें ग्राम प्रधान एंव लेखपाल पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता का ऑकलन कर खाद्यान्न हेतु परमिट निर्गत कर देंगे। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी इस व्यवस्था के ओवरऑल प्रभारी होगें। दिनॉक 19.12.2007 तक उपरोक्त चिन्हित व्यक्तियों में से 389 व्यक्तियों को 58.35 कुन्टॅल खाद्यान्न निःशुल्क वितरित कर दिया गया है। यह कार्य सतत् रूप से जारी है।

## (ग) '' सामुदायिक रसोई '' योजना –

उपरोक्त चिन्हित निराश्रित एंव असहाय व्यक्तियो को ही पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु भी कार्य योजना तैयार कर ली गयी है तथा इसे प्रत्येक ग्राम की प्राथमिक पाठशालाओं में पूर्व से संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। इस आशय के निर्देश जारी किये गये है उपरोक्त व्यक्तियों में जो भी व्यक्ति पका–पकाया भोजन प्राप्त करना चाहे वह प्राथमिक पाठशाला में बच्चों के साथ ही भोजन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपरोक्त सुरक्षित खाद्यान्न कोष से ही 05 किग्रा0 प्रति व्यक्ति की दर से खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त कनवर्जन कॉस्ट के रूप में मध्यान्ह भोजन की प्रचलित दर पर ही (2 रू0 प्रति व्यक्ति प्रति दिन) दिसम्बर एंव जनवरी माह के लिए तहसीलदार कर्वी एवं मऊ को क्रमशः 60 हजार एंव 30 हजार, कुल 90 हजार की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है। अभी तक लगभग 40 व्यक्तियों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। यह कार्य सतत् रूप से जारी है।